न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **08/2018** आवंटन निरस्ती

समस्त ग्रामवासी गांव केरपुरा, तहसील वल्लभनगर जरिये प्रतिनिधिः–

1. श्री डालचन्द पिता प्यारचन्द जी गुर्जर, निवासी केरपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री कालुलाल पिता चुन्नीलाल जी गुर्जर, निवासी केरपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री किशनलाल पिता जयसिंह जी गुर्जर, निवासी केरपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री नारायण पिता सवा जी गुर्जर, निवासी केरपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
5. श्री पेमा पिता रतना जी रावत, निवासी केरपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
6. श्री शंकर पिता उंकार जी रावत, निवासी केरपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

–– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री उंकारलाल पिता नानजी जाट, निवासी सारंगपुरा (कानोड), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, उदयपुर (राज.)

–– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) एवं नियम 20 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः
1. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री कन्हैयालाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः–03.02.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) एवं नियम 20 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा केरपुरा तहसील वल्लभनगर के आराजी

नं. 259 में से 10 बीघा भूमि विपक्षी उंकारलाल को दिनांक 06.08.80 को प्र.सं. 04/80 से आवंटन/नियमन कर गैरखातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी। जबकि ग्राम केरपुरा में मवेशियों को चरने हेतु पूर्व से ही भूमि कम है। यह भूमि विपक्षी सं. 1 को चुपके से आवंटन करवा ली गई। राजस्व अभिलेख में भी इस आराजी के मध्य में इस आवंटन का अंकन कर दिया गया है एवं नामान्तकरण खोलते समय इसका नम्बर 259, 265/16 डाल दिया गया है। आवंटन के बाद विपक्षी का इस भूमि पर कभी कब्जा नही रहा, ना ही पूर्व में इस भूमि पर कब्जा था। आराजी सं. 259 बहुत बडा रकबा होकर मौके पर मवेशियां चरती है। मात्र नक्शे में ही इसका अंकन है। मौके पर इसका कोई चिन्ह नही है। आराजी नं. 259, 265मी रकबा 205 बीघा 5 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में चरनोट की बतायी गई है व आराजी नं. 259, 265/8 रकबा 24 बीघा मगरी भी चरनोट बतायी गई है। आवंटित विवादित भूमि चरागाह का हिस्सा है। कानूनी प्रावधान के अनुसार चरागाह भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। कथित आवंटन अनओक्युपाईड भूमि है। विपक्षी सं. 1 द्वारा इस पर कब्जा करने की नीयत से जेसीबी चला कर इस चरागाह की भूमि में स्थित खाखरे के पेडो को तोड दिये जिसे ग्रामवासियों द्वारा रोक कर तहसील में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिस पर भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 02.07.18 को पर्चा मौका बनाया जिससे भी साबित होता है कि विपक्षी नं. 1 का मौके पर कब्जा नहीं है। कब्जा करने की नीयत से कुछ पेडो को नुकसान किया। विपक्षी सं. 1 को चरागाह की भूमि गलत आवंटन कर दी गई। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 1 को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी/विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि मौजा केरपुरा की आरजी नं. 259 में 10 बीघा भूमि पूर्व में सेना में सेवारत था। उसकी सेवानिवृति के बाद में राज्य सरकार द्वारा सेनिको को आवंटित भूमि नियमों के तहत नियमानुसार आवंटित की गई। जो नामान्तकरण सं. 257 दिनांक 18.11.10 से विपक्षी के लगातार कब्जे और काबिल काश्त बनाने के आधार पर गैरखातेदारी से खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। आवंटन दिनांक से ही आवंटित भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग, उपभोग, काश्त करता आ रहा हूँ। विपक्षी द्वारा उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाने में कडी मेहनत व काफी खर्चा किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी की उक्त आवंटनशुदा भूमि में मवेशी चराकर नुकसान कर दिया। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना कानोड में दिनांक 05.09.85 को प्रस्तुत की गई। आवंटन के अनुसार आवंटित भूमि का नक्शे में तरमीम किया गया है। आवंटित भूमि के चारो ओर कोट बनाया है। जहां आवंटन हुई वही पर विपक्षी का कब्जा है। विपक्षी द्वारा

आवंटन शर्तो की पालना की गई है। आवंटित भूमि पर लगातार खेती की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर विपक्षी को परेशान करना चाहते है। अतः आवंटन नियमानुसार होने से प्रार्थीगणों का प्रार्थनापत्र खारीज फरमावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा केरपुरा की आराजी नं. 259 में 10 बीघा भूमि चुपके से आवंटन करवा ली। वास्तविकता यह है कि आराजी नं. 259 व 265 काफी बडा रकबा होकर राजस्व अभिलेख में यह आराजीयात चरागाह दर्ज है। इन आराजीयातों में ग्रामवासियों के मवेशी चरते है। विपक्षी को गलत रूप से चरागाह की भूमि आवंटन कर आराजी नं. 259 के मध्य में राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी गई है। आवंटन के बाद में आवंटित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा, न ही काश्त की गई। ना आवंटन शर्तो की पालना की गई। भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 02.07.18 को जो पर्चा मौका कायम किया गया है जिसमें भी साफ लिखा है कि खातेदार का आवंटन होने के बाद मौके पर कोई कब्जा नहीं है। इसी वर्ष जेसीबी चलाकर कब्जा करना चाहा। खातेदार को अपनी आवंटन शुदा भूमि का कोई पता भी नही है। वर्तमान में खातेदार ने चरागाह में खाखरे के पेड नष्ट किये है। भूअभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से भी प्रथम दृष्टया साबित होता है कि चरागाह में कब्जा किया जा रहा है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2043 से 2074 जो कि संलग्न पत्रावली है उसमें कही पर भी कभी आवंटी द्वारा काश्त नहीं की गई है। जिससे भी साबित होता है कि विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटन के लम्बे समय के बाद में दिनांक 02.07.18 को मौके पर जेसीबी लेकर कब्जा करने की नियत से आया जिस पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा विपक्षी को रोका गया। अतः निवेदन है कि विपक्षी को पाबन्द करे कि वह ग्राम की चरागाह भूमि पर कब्जा नहीं करे एवं राजस्व अभिलेख में चरागाह भूमि पर आंवटित भूमि को नियम विरूद्ध आवंटन किये जाने से खारीज फरमावे। अपने कथनों की ताईद में 2017(3)WLN(RAJ)PAGE 317 के दृष्टांत प्रस्तुत किया गया।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी सं. 1 को भूमि का आवंटन पूर्व सैनिक के हैसियत से राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में विधिवत किया गया। आवंटन के पश्चात विपक्षी को भूमि का विधिवत कब्जा सिपुर्द किया गया। कब्जा सिपुर्दुगी के पश्चात राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया गया। विपक्षी को जो भूमि आवंटित की गई जिसका कब्जा सिपुर्द किया गया उसी भूमि पर आवंटन दिनांक से काबिज होकर नियमित रूप से काश्त की जा रही है। आवंटित भूमि के चारों ओर पत्थर की कोट बना रखी है। प्रार्थी द्वारा भारी श्रम व लागत लगाकर काबिल काश्त बनायी है। सम्वत 2059 से 2062 में इस भूमि पर काश्त की गई है। जो खसरा गिरदावरी में इन्द्राज है।

आवंटन शर्तो की पालना किये जाने पर खातेदारी हक से भी राजस्व अभिलेख में भूमि का अंकन कर दिया गया हैं। प्रार्थीगण महज परेशान करने की दृष्टि से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जो गलत तथ्यों के आधार पर किया गया है। प्रार्थी को भूमि का आवंटन हुए 40 वर्ष हो चुके है। इतनी लम्बी समयावधि के पश्चात आवंटन निरस्ती का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अपने कथनो की ताईद में 2011(2)आरआरटी पेज 1205 , आरआरडी 2001 पेज 126, आरआरडी 2003 पेज 237 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। विद्ववान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली को भी देखा गया। विपक्षी भूतपूर्व सैनिक होकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार उसकी सेवानिवृति के बाद उसे वादग्रस्त भूमि का आवंटन भूतपूर्व सैनिक होने से किया गया। आवंटन दिनांक 06. 08.80 को किया गया। आवंटन के 40 वर्ष बाद आवंटन निरस्ती का प्रार्थनापत्र प्रार्थीगणों द्वारा किया गया है। पटवारी हल्का सारंगपुरा द्वारा दिनांक 22.11.82 को आवंटित भूमि का कब्जा विपक्षी सं. 1 को सिपुर्द किया गया है। यह भूमि पटवारी सारंगपुरा की रिपोर्ट दिनांक 07.06.80 की रिपोर्ट के आधार पर भूमि का आवंटन किया गया । भूमि का आवंटन किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं रही है। तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा भूमि को राजस्व अभिलेख में नियमानुसार आवंटी के पक्ष में गैरखातेदारी हक से दर्ज की गई है, जो न्यायोचित है। विपक्षी को भूमि का आवंटन हुए 40 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। इतनी लम्बी अवधि के पश्चात प्रार्थीगणो द्वारा आवंटन निरस्ती का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित नहीं है और ना ही लम्बी अवधि के पश्चात भूमि का आवंटन खारीज किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणों का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता हैं। विपक्षी सं. 1 के पक्ष में किया गया आवंटन यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को सूचनार्थ प्रेषित हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.18 16:37:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: